



**भारत सरकार**  
**Government of India**  
**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**  
**National Commission for Scheduled Tribes**

(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. BR/1/2017/STGJH/ATRAPE/RU-III

दिनांक: 13—03—2018

सिटिंग नोटिस

विषय: सुषमा कुमारी को अकेले देखकर श्री जितेन्द्र कुमार झा द्वारा जबरदस्ती बलात्कार के प्रयास में न्याय दिलाने के संबंध में— श्री बैजनाथ राम, उपाध्यक्ष, पो—मुरकुन्डा बाजार, जिला रामगढ़ (झारखण्ड) प्राप्त से दिनांक 03.07.2017 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है। (अभ्यावेदन की प्रतिलिपि संलग्न है)

2. सुश्री अनुसुईया उर्झके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक 03—04—2018 को 12.00 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय उपाध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(आर. के. दुबे )  
 सहायक निदेशक  
 दूरभाष—24615012

सेवा में,

- 1. सचिव,  
जल संसाधन तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,  
झारखण्ड सरकार,  
राँची (झारखण्ड)
- 2. जिला कलेक्टर,  
जिला रामगढ़  
(झारखण्ड)
- 3. पुलिस अधिक्षक,  
जिला रामगढ़  
(झारखण्ड) 829103

1791-93  
13/3/18 AC

प्रतिलिपि:

श्री बैजनाथ राम, उपाध्यक्ष,

पता पो—मुरकुन्डा बाजार,

जिला रामगढ़ (झारखण्ड), 6th Floor 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi -110003, website ::://ncst.nic.in